न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी— श्री दौलत राम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या — 06/2020

प्रार्थीगण—

1. भंवरी देवी पत्नि भगजी
2. सोहनलाल पुत्र भगजी
3. चन्दाराम पुत्र भगजी
4. मदनलाल पुत्र भगजी
5. कमली पुत्री भगजी जातियान घांची निवासीगण सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थी—

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:—

1. श्री गजेन्द्र दवे, श्री भगवतीप्रसाद, श्री शरीफ मोहम्मद, सुनिल दवे अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक — 18.08.2020

अधिवक्तागण मय प्रार्थीगण ने एक विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता भगजी पुत्र धीरा के हक हकूकों व खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि सरहद मौजा सोजत चक 1 तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 1843, 1847 से 1850, 1860, 1861, 1868 से 1871, 1873, 1876 कुल खसरा 13 कुल रकबा 0.9000 हैक्टर किस्म चा0प्र0 जा0अ0 गै0मु0 रास्ता, स्थित है। उक्त वादस्थ भूमि में प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा हकूक खातेदारी व कब्जे काश्त का आता है। प्रार्थीगण के पिता भगजी पुत्र धीराजी का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास पश्चात् प्रार्थीगण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है तथा प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई भी भगजी वल्द धीरा के विधिक वारिसान नही है। उक्त वादस्थ कृषि भूमि के खतौनी बन्दोबस्त तथा पर्चा लगान सम्वत् 2033 से 2052 में प्रार्थीगण के पिता का नाम भगजी पुत्र धीराजी 1/6 हिस्सा दर्ज सुदा है, जो सही अंकित किया हुआ है। सैटलमेंट से पूर्व भी प्रार्थीगण के पिता का नाम भगजी वल्द धीराजी दर्ज सुदा है तथा जमाबंदी सम्वत् 2042—45 की तैयारी के समय स्लीप ऑफ पैन की वजह से प्रार्थीगण के पिता का नाम भगजी के स्थान पर गंगली पुत्र धीराजी अंकित कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम गंगली नही होकर भगजी है, जो त्रुटि मात्र स्लीप ऑफ पेन की वजह से हो गया। इसके पश्चात् की जमाबन्दिया तैयारी के समय गंगली बेवा धीराजी अंकित कर दिया जो एक सद्भाविक त्रुटि है। पूर्व के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम भगजी पुत्र धीराजी 1/6 हिस्सा दर्ज सुदा है, जमाबन्दी सम्वत् 2030—33, पर्चा लगान व खतौनी बन्दोबस्त 2033—52 में प्रार्थीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम भगजी वल्द धीराजी 1/6 हिस्सा दर्ज सुदा है। आगामी जमाबन्दी सम्वत् 2042—45 तैयारी के समय स्लीप ऑफ पेन से गंगली वल्द धीराजी अंकित कर दिया जो आगे से आगे जमाबन्दिया तैयारी के समय भी अंकित कर दिया। उक्त इन्द्राज मात्र सदभाविक/लिपिकीय

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

भूल स्लीप ऑफ पेन की वजह से हुआ है। पूर्व के राजस्व रेकर्ड की समस्त नकलें प्राप्त करने से [redacted] होने पर तथा तहसीलदार, सोजत द्वारा रेकर्ड शुद्धि करने से इन्कार करने पर प्रा0 पत्र पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त विवादित/विवादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत व लिपिकीय सदभाविक भूलवश दर्ज पिता का नाम गंगली बेवा धीराजी के स्थान पर वास्तविक व सही नाम भगजी वल्द धीराजी दुरूस्त किये जाने तथा चूंकि प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास हो जाने से इनके स्थान पर प्रार्थीगण का नाम इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिसेज वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का कानूनी होने तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को स्वयं सिद्ध करते हुए अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस अधिवक्तागण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1843, 1847 से 1850 1860, 1861 1868 से 1871, 1873 व 1875 कुल किता 13 रकबा 0.9000 हैक्टयर किस्म चा0प्रथम जा0 अ0 व गै0मु0 रास्ता की भूमि की सम्वत् 2033 – 52 जमाबन्दी सैटलमेन्ट विभाग 2028–29 मिलान खसरा अनुसार उक्त विवादित भूमि में मूल पुरूष धीरा के वारिसान भगजी वल्द धीरा का नाम दर्ज हुआ किन्तु आगे की जमाबन्दीया तैयारी के समय गगली वल्द धीरा ही दर्ज हो गया जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070 – 73 में भी यथावत दर्ज है। पूर्व में राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 339/18 आदेश दिनांक 26.09.2019 अनुसार मौजा सोजत चक प्रथम में प्रार्थीगण की स्थित भूमि खसरा नम्बर 1769, 1773, 1877, 1879, 1881 व 1882 कुल किता 6 रकबा 0.6600 हैक्टर किस्म चा0 प्रथम के राजस्व रेकॉर्ड में भी गंगली बेवा धीराजी के स्थान पर भगजी पुत्र धीराजी की दुरूस्ती की गई, छाया प्रति पेश की है, सा0 मि0 है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1843, 1847 से 1850, 1860, 1861, 1868 से 1871, 1873, 1876 कुल खसरा 13 कुल रकबा 0.9000 हैक्टर किस्म चा0प्र0 जा0अ0 गै0मु0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय एवं सद्भाविक त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता का गलत दर्ज नाम गंगली बेवा धीराजी के स्थान पर सही व वास्तविक नाम भगजी पुत्र धीराजी दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) सोजत ने प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार दुरूस्ती किये जाने में कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राज0 अधि0 1956 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभयपक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित कृषि भूमि के पूर्व राजस्व रेकर्ड खतौनी बन्दोबस्त एवं पर्चा लगान सम्वत् 2033–52 में प्रार्थीगण के पिता का सही व वास्तविक भगजी वल्द धीराजी 1/6 हिस्सा दर्ज सुदा है, किन्तु मिलान खसरा 2028 – 29 तथा राजस्व रेकर्ड आगामी जमाबन्दी सम्वत् 2042–45 तथा पश्चातवर्ती जमाबन्दियॉ में स्लीप ऑफ पेन की वजह से सद्भाविक लिपिकीय त्रुटिवश होना बखूबी प्रमाणित है तथा पूर्व में राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 339/18 आदेश दिनांक 26.09.2019 अनुसार मौजा सोजत चक प्रथम में प्रार्थीगण की स्थित भूमि खसरा नम्बर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

1769, 1773, 1877, 1879, 1881 व 1882 कुल किता 6 रकबा 0.6600 हैक्टर किस्म चा0 प्रथम के राजस्व रेकॉर्ड में भी गंगली बेवा धीराजी के स्थान पर भगजी पुत्र धीराजी की दुरूस्ती की गई है। लिहाजा अधिवक्तागण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राज0 अधि0 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पिता का गलत दर्ज नाम गंगली बेवा धीराजी के स्थान पर वास्तविक व सही नाम भगजी पुत्र धीराजी दुरूस्त दर्ज किया जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्तागण मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा—सोजत चक 1 तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1843, 1847 से 1850, 1860, 1861, 1868 से 1871, 1873, 1876 कुल खसरा 13 कुल रकबा 0.9000 हैक्टर किस्म चा0प्र0 जा0अ0 गै0मु0 रास्ता के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय एवं सद्भाविक त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता का गलत दर्ज नाम गंगली बेवा धीराजी के स्थान पर सही व वास्तविक नाम भगजी पुत्र धीराजी दुरूस्त दर्ज किये जाने तथा तत्पश्चात् भगजी के विधिक वारिसान/प्रार्थीगण व अन्य के नाम नियमानुसार दर्ज किये जाने के तहसीलदार सोजत को आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner